न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 147/2024

ऑनलाईन नम्बर 2024/307

निर्णय दिनांकः27.03.2025

भंवरलाल पुत्र मालुराम जाति नायक निवासी बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़

–प्रार्थी–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश बोहरा अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कि और से प्रार्थना पत्र निम्न लिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि ग्राम बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का स्थाई निवासी है प्रार्थी कि पैतृक खातेदारी का खेत खसरा न. 927/315 तादादी 3.8100 हैक्टेयर राही ग्राम बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ मे स्थित है जिसमें प्रार्थी ही काश्तकार कृषक है। वादगत खेत खसरा न. 927/315 तादादी 3.8100 हैक्टेयर के पुराना खसरा नम्बर 243 तादादी 7.69 कि खातेदारी प्रार्थी के पिता मालुराम के नाम दर्ज थी। प्रार्थी के पिता मालूराम के देहान्त होने के बाद वादगत खेत में स्थित प्रार्थी हिस्से कि खातेदारी जरीये विरासतन नामान्तरण सख्या 335 दिनांक 03.08.2001 के प्रार्थी व प्रार्थी माता सुगनीदेवी, बहने रेवन्ती, शान्ति, सोहनी, व भाई अमराराम, हरिराम, रामचन्द्र, श्रवण, बिरबल के नाम दर्ज कि गई। प्रार्थी व उसके भाईयो के शुद्धीपत्र विभाजन सख्या 6 से का नया खसरा 923/315 तादादी 3.81 हैक्टेयर बनकर हिस्सा पाती में आ गया। उक्त विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का भलाराम सुत्र मालुराम बोलता नाम अकिंत कर दिया जबकि प्रार्थी का शुद्ध नाम एंव वास्तविक नाम भंवर लाल पुत्र मालूराम है जो प्रार्थी के समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी दस्तावेजो में अंकित है। वादगत खेत के उपरोक्त नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम भलाराम पुत्र मालूराम अंकित कर दिया गया जो अशुद्ध दर्ज है जिसे प्रार्थी प्रार्थना–पत्र के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाकर भंवरलाल पुत्र मालूराम शुद्ध दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी ही वादगत खेत कि रिकॉर्डेड खातेदार है जो राजस्व रिकॉर्ड मे अपना शुद्ध नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने वादगत खेत के राजस्व रिकॉर्ड में अपना शुद्ध नाम दर्ज करने हेतू अप्रार्थी ने निवेदन किया तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकॉर्ड मे अपना शुद्ध नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया । अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी कि अप्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 15:31:08 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व वाद हेतू प्राप्त है एंव वादगत खेत का खातेदार कृषक से होने प्राप्त है अप्रार्थी द्वारा इन्कार करने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्ररतुत करने का आधार प्रप्त है। प्रार्थी गांव बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का स्थाई निवासी है एंव वादगत खेत रोही ग्राम बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र पुर्ण कोर्ट फिस चस्पा कर दी गई है पुर्ण कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः श्रीमान्जी से अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 927/315 तादादी 3.8100 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज प्रार्थी का अशुद्ध नाम भलाराम पुत्र मालुराम को शुद्ध किया जाकर भंवरलाल पुत्र मालूराम दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे । अन्य कोई हितकर प्रार्थी हो या दौरान प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थी हो जावे वह भी प्रदान किया जावे ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 927/315 तादादी 3.8100 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज प्रार्थी का अशुद्ध नाम भलाराम पुत्र मालूराम को शुद्ध किया जाकर भंवरलाल पुत्र मालूराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 15:31:08 IST
Reason: SelfAttested